2022/406

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — श्री शंकरलाल गोयल, निवासी 25 सी, सार्दुलपुरा आवासीय कॉलोनी नं. 1 सिरोही, जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट — सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 80 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.12.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 03.10.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि 1980 में श्री छोगाराम पुत्र श्री भीखाराम रावल निवासी गोयली को एस.डी.एम. कार्यालय सिरोही द्वारा जारी प्रमाण पत्र को जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपने पत्रांक/सतर्कता/2000/501 दिनांक 03.05.2000 को निरस्त किया गया था, उक्त आदेश के सम्पूर्ण प्रपत्रों की प्रमाणित प्रति एवं जिला कलक्टर सिरोही के पत्रांक/2000/564 दिनांक 03.02.2000 एवं पत्रांक/सतर्कता/02/204–10 दिनांक 04.06.2000 के आदेशानुसार रावल जाति को जारी प्रमाण पत्रों की निरस्त करने की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं राज्य सूचना आयोग राजस्थान सरकार की द्वितीय अपील संख्या CIC/SIRH/2021/105519 के निर्णय की पालना रिपोर्ट से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपयें 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 03.10.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि 1980 में श्री छोगाराम पुत्र श्री भीखाराम रावल निवासी गोयली को एस.डी.एम. कार्यालय सिरोही द्वारा जारी प्रमाण पत्र को जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपने पत्रांक/सतर्कता/2000/501 दिनांक 03.05.2000 द्वारा निरस्त किया गया था, उक्त आदेश के सम्पूर्ण प्रपत्रों की प्रमाणित प्रति एवं जिला कलक्टर सिरोही के पत्रांक/2000/564 दिनांक 03.02.2000 एवं पत्रांक/सतर्कता/02/ 204–10 दिनांक 04.06.2000 के आदेशानुसार रावल जाति को जारी प्रमाण पत्रों की निरस्त करने की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं राज्य सूचना आयोग राजस्थान सरकार की द्वितीय अपील संख्या CIC/SIRH/2021/105519 के निर्णय की पालना रिपोर्ट से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध [illegible] अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कल[illegible] सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल [illegible] उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव [illegible] आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। [illegible]ली फैसल शुमार होकर नंबर कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:01:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner